(1)

FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड राज0

वाद सं. 372/2025 दायरा दिनांक : 18.11.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

उनवान

जगदीश पुत्र रामचन्द्र धाकड़ नि. लालगाँव

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये |
|---|---|---|
| 18.11. 2025 | न्यायालय हाजा में वादी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 20.11.2025 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) | |
| 20.11. 2025 | पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लालगांव की जमाबंदी सं. 2073–76 एवं तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप–6) विभाग 4(1) राज–6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 परिपत्र के अनुसार वादी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।<br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Dinesh Kumar Meena<br>Date: 2025.12.30 17:35:10 IST<br>Reason: SelfAttested<br>(दिनेश कुमार मीना)<br>सहायक जैवठ रिकार्ड अधिकारी<br>एवं पीठासीन अधिकारी, पिड़ावा<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०) | |

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner